

[2013] 2 एस.सी.आर 301

यू.पी राज्य

बनाम

हरि राम

[सिविल अपील संख्या 2326/2013 आदि]

मार्च 11, 2013

[के.एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे-जे]

शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999:

धारा-3, बचत खण्ड धारित: राज्य द्वारा कोई दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दिखाता है निरसन अधिनियम के लागू होने से पहले उत्तरदाता को बेदखल कर दिया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय का यह फैसला सही है। उत्तरदाता निरसन अधिनियम की धारा 3 का लाभ पाने का हकदार है।

शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976

धारा-10, (3)- सीलिंग सीमा से अधिक खाली भूमि का अधिग्रहण अभिव्यक्तियां "अर्जित की गई मानी जाती हैं" और " पूरी तरह से निहित मानी जाती हैं- का अर्थ- माना जाता है: धारा 10 की उपधारा में 'निहित' का अर्थ है स्वामित्व को पूर्ण रूप से निहित करना, न कि कब्जा-धारा 10

(3) के तहत जो निहित है वह वैधानिक कब्जा है, वास्तविक कब्जा नहीं- धारा 10 की उपधारा (3) के तहत केवल भूमि का निहित होना राज्य सरकार को खाली भूमि पर वास्तविक कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं देगा, जब तक कि 18.03.1999 से पहले खाली भूमि का स्वैच्छिक आत्मसमर्पण नहीं किया गया हो- राज्य को यह स्थापित करना होगा कि खाली भूमि का स्वैच्छिक समर्पण हुआ है या धारा 10 की उपधारा (5) के तहत शांतिपूर्ण कब्जे का समर्थन और वितरण या धारा 10 की उपधारा (6) के तहत बलपूर्वक बेदखल करना हुआ है - इनमें से किसी भी स्थिति को स्थापित करने में विफलता पर भूमि मालिक या धारक निरसन अधिनियम की धारा 3 के लाभ का दावा कर सकता है -उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सीमा (कब्जा लेना, राशि का भुगतान और संबद्ध मामले) निर्देश, 1983।

राज्य सरकार द्वारा दायर त्वरित अपीलों में न्यायालय के समक्ष विचार के लिए यह प्रश्न था कि क्या शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 (3) के तहत अधिशेष भूमि का निहितार्थ वास्तव में कब्जा भूमि धारकों को शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 के तहत बचत खंड के लाभ से वंचित करता है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए-

अभिनिर्धारित किया : 1.1. उपधारा (3) धारा 10 शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में कहा गया है कि उपधारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद सक्षम प्राधिकारी को यह घोषित करना होगा कि धारा 10 की उपधारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उल्लेखित अतिरिक्त भूमि ऐसी तारीख से जैसा कि घोषणा में निर्धारित किया गया है राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया हुआ माना जाएगा। इस आशय की घोषणा के प्रकाशन पर यह माना जाएगा कि ऐसी भूमि उस स्थिति के प्रभाव से सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गई है। (पैरा 16) (317-जीएच: 318-एबी)

1.2 विधायिका कानूनी कल्पना रचने में सक्षम है। किसी तथ्य के अस्तित्व को मानने के उद्देश्य से जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। धारा 10 की उपधारा (3) में दो डीमिंग प्रावधान शामिल थे, जैसे, “अधिगृहीत माना गया” और “पूरी तरह से निहित माना गया”। कानूनी कल्पना रचने के प्रावधान व्याख्या करते समय, अदालत को यह सुनिश्चित करना होता है कि कल्पना, किस उद्देश्य से बनाई गई है और ये सुनिश्चित करने के बाद अदालत को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मानना है जो कल्पना को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम है। (पैरा 17) (318-सी-ई)

दिल्ली क्लोथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य सरकार (1996) 2 एससीसी 449: ऑर्गेनो केमिकल इण्डस्ट्री बनाम भारत

संघ 1980 (1) एससीआर 61= (1979) 4 एससीसी 573 प्रवर्तन
निदेशालय बनाम दीपक महाजन 1994 (1) एससीआर 445= (1994) 3
एससीसी 440 ;एस. गोपाल रेड्डी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996 (3)
पूरक। एससीआर 439= (1996) 4 एससीसी 596; जुगल किशोर शराफ
बनाम मैसर्स रॉ, कॉटन कंपनी लिमिटेड 1955 एससीआर 1369=
एआईआर 1955 एससी 376- संदर्भित।

एकपक्षीय, वॉल्टन, इन रे, लेवी (1881) 17 चांस. डी. 746; स्जोमा
बनाम कार्य और पेंशन विभाग के राज्य सचिव (2006) 1 ऑल ईआर 1
(25 पर) डीईजी डॉयचे इंस्टीट्यूट एवं अन्य बनाम कोसबी (2001) 3 ऑल
ईआर. 878- संदर्भित।

1.3 अभिव्यक्ति “अर्जित मानी गई” धारा 10 की उपधारा (3) के
तहत एक काल्पनिक कल्पना के रूप में उपयोग किया जाता है, का अर्थ
केवल स्वामित्व का अधिग्रहण या हितों का अधिग्रहण हो सकता है क्योंकि
उस समय तक भूमि या तो उस व्यक्ति के स्वामित्व में हो सकती है
जिसके पास खाली भूमि है या मालिक के रूप में या किरायेदार के रूप में
या गिरवीदार के रूप में ऐसी भूमि है और इसी तरह अधिनियम की धारा
2 (1) के तहत परिभाषित किया गया है। (पैरा 23) (320-सी-डी)

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम जिलिंस्की बेकर और
पार्टनर्स (2004) 2 ऑल ईआर 141 (11 पर)- संदर्भित।

कानूनी शब्दावली, आधिकारिक भाषा (विधान) आयोग द्वारा प्रकाशित 1970 संस्करण पृष्ठ 302; ब्लैक्स लॉ डिक्सनरी, वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्सनरी ऑफ इंग्लिश लेंग्वेज अनएब्रिज्ड खण्ड III एस से जेड पृष्ठ 2547- संदर्भित।

1.4 जिसे “पूर्णतः निहित” समझा जाता है वह “अर्जित किया हुआ माना जाता है”। अदालत को राजी करने के लिए अत्यधिक स्पष्टता वाले स्पष्ट शब्द होने चाहिए कि विधायिका का इरादा कब्जा हटाने का भी है क्योंकि खाली भूमि का मालिक या धारक एक वैधानिक परिकल्पना के खिलाफ खड़ा है। (पैरा 26) (321-एच;322-ए)

बीडल बनाम मैटलैण्ड (1881) 17 च. डी. पी.183- संदर्भित।

1.5 रिक्त भूमि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि वास्तव में अर्जित किया गया नहीं है लेकिन अर्जित किया हुआ समझा जाता है। इसमें चीजों को वहीं माना जाता है जो वो नहीं है। इसलिए अधिग्रहण तब तक कब्जा नहीं लेता जब तक इसके विपरीत कोई संकेत ना हो। यह घिसापिटा कानून है कि प्रावधान पर विचार करते समय विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। अधिनियम का उद्देश्य खाली भूमि पर सीलिंग लगाना है, सीलिंग सीमा से अधिक भूमि के अधिग्रहण के लिए ऐसी भूमि पर निर्माण को विनियमित करना है, शहरी भूमि को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होने से रोकना है, ताकि न्यायसंगत वितरण लाया जा सके। उस उद्देश्य को

प्राप्त करने के लिए अधिग्रहण और निहितार्थ के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। धारा 10 की उपधारा (5) व (6) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 'अर्जित' और 'निहित' शब्दों के अलग अलग अर्थ और विषय वस्तु है। (पैरा 27) (322-डी-जी)

1.6 धारा 10 (3) में जो निहित है वह कानूनी कब्जा है वास्तविक नहीं। धारा 10 की उपधारा (3) का अर्थ है स्वामित्व को पूरी तरह से निहित करना, ना कि कब्जा करना, हालांकि किसी व्यक्ति के स्वच्छया से आत्मसमर्पण करने या कब्जा देने के रास्ते कुछ भी नहीं आता है। धारा 10 की उपधारा (3) के तहत कब्जे का समर्पण या हस्तांतरण स्वैच्छिक हो सकता है ताकि व्यक्ति को अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदान किया गया मुआवजा जल्दी मिल सके। एक बार जब कोई स्वैच्छिक आत्मसमर्पण व कब्जे की डिलीवरी नहीं होती है, तो आवश्यक रूप से राज्य सरकार को धारा 10 की उपधारा (5) के तहत समर्पण करने या सौंपने के लिए लिखित रूप से नोटिस जारी करना होता है। धारा 10 की उपधारा (5) शांतिपूर्ण ढंग से आत्मसमर्पण करने और कब्जा देने की स्थिति की कल्पना करता है, जबकि धारा 10 (6) बलपूर्वक बेदखली के स्थिति पर विचार करता है। धारा 10 की उपधारा (5) व (6) के तहत नोटिस देने की आवश्यकता अनिवार्य है। हालांकि उसमें 'हो सकता है' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों उपधाराओं में 'हो सकता है' शब्द को "करेगा" के रूप में समझा जाना चाहिए। क्योंकि कानून को लागू करने

के कार्य के साथ सौंपी गई अदालत को उन परिणामों को तय करने की आवश्यकता होती है जो विधायिका आवश्यकता को लागू करने के लिए असफल लालच से पालन करने का इरादा रखती है। धारा 10 की उपधाराओं (5) व (6) के अंतर्गत नोटिस ना करने का प्रभाव यह है कि इसके परिणामस्वरूप भूमि धारक को बिना किसी सूचना के बेदखल किया जा सकता है, इसलिए, 'हो सकता है' शब्द को करेगा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। (पैरा 27, 28, 32, 34) (322-जी;323-ए-बी;324-एफ-जी;325-ई-एफ)

महाराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1977 (1) एससीआर 1072= (1977) 1 एससीसी 155; राजेन्द्र कुमार बनाम कल्याण (मृत) द्वारा एलआर 2000 (2) पूरक एससीआर 114= (2000) 8 एससीसी 99- संदर्भित।

1.7 इसके अलावा, उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सीमा (कब्जा लेने की राशि और संबद्ध मामलों का भुगतान) निर्देश, 1983 यह स्पष्ट करते हैं कि धारा 10 की उपधारा (3) केवल वैधानिक कब्जा लेता है, वास्तविक कब्जा नहीं। इसलिए, यदि भूमि मालिक ने धारा 10 की उपधारा (3) के तहत स्वेच्छा से कब्जा नहीं छोड़ा है या धारा 10 (5) के तहत नोटिस के बाद आत्मसमर्पण या कब्जा नहीं दिया है या धारा 10 (6) के तहत बल के उपयोग से बेदखल नहीं किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने खाली जमीन पर कब्जा लिया है। (पैरा 35, 36) (325-

एच;326-ए;328-जी-एच;329-ए)

पं. मदन स्वरूप श्रोतियां पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम यूपी राज्य व अन्य (2000) 6 एसीसी 325, घसीटे लाल साहू और अन्य बनाम सक्षम प्राधिकारी, शहरी (सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976) के तहत, यूपी और अन्य (2004) 13 एससीसी 452, मुकर्रम अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2007 (8) एससीआर 340= (2007) 11 एससीसी 90 और विनायक काशीनाथ शिल्कर बनाम डिप्टी कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी और अन्य 2012 (2) एससीआर 219= (2012) 4 एससीसी 718- संदर्भित।

1.8 धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत भूमि का मात्र निहित होना राज्य सरकार को खाली भूमि पर वास्तविक कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं देगी जब तक कि 18.03.1999 से पहले खाली भूमि का स्वैच्छिक समर्पण नहीं किया गया हो, राज्य को यह स्थापित करना होगा कि खाली भूमि का स्वैच्छिक आत्मसमर्पण किया गया है या धारा 10 की उपधारा (5) के तहत शांतिपूर्ण कब्जे का आत्मसमर्पण और वितरण किया गया है। या धारा 10 की उपधारा (6) के तहत बलपूर्वक बेदखल किया गया है। इनमें से किसी भी स्थिति को स्थापित करने में विफलता पर, भूमि मालिक या धारक निरसन अधिनियम की धारा 3 के लाभ का दावा कर सकता है। राज्य सरकार इनमें से कोई भी स्थिति स्थापित नहीं कर सकती। राज्य द्वारा यह दिखाने के लिए कि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया

है कि निरसन अधिनियम के लागू होने से पहले उत्तरदाताओं को बेदखल कर दिया हो और इसलिए उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि उत्तरदाता निरसन अधिनियम की धारा 3 का लाभ पाने का हकदार है। कोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं है। (पैरा 39-40) (329-जी-एच;330-ए-सी)

केस कानून संदर्भित

1996 (1) एससीआर 518 (1881)	संदर्भित	पैरा 17
(1881) 17 संभावना डी.746	संदर्भित	पैरा 18
(2006) 1 एएलएल ईआर 1 (25 पर)	संदर्भित	पैरा 19
(2001) 3 एएलएल ईआर 878	संदर्भित	पैरा 19
1980 (1) एससीआर 61	संदर्भित	पैरा 20
1994 (1) एससीआर 445	संदर्भित	पैरा 20
1996 (3) पूरक एससीआर 439	संदर्भित	पैरा 21
1955 एससीआर 1369	संदर्भित	पैरा 22
(2004)2 एएलएल ईआर 141 (11 पर)	संदर्भित	पैरा 23
(2001) 3 एएलएल ईआर 878	संदर्भित	पैरा 23
1977 (1) एससीआर 1072	संदर्भित	पैरा 28

2000 (2) पूरक एससीआर 114	संदर्भित	पैरा 37
(2000) 6 एससीसी 325	संदर्भित	पैरा 37
(2004) 13 एससीसी 452	संदर्भित	पैरा 37
2012 (2) एससीआर 219	संदर्भित	पैरा 37
2007 (8) एससीआर 340	संदर्भित	पैरा 37

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2326/2013
आदि।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 47369/2000
में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2005 से उत्पन्न।

सी.ए. संख्या 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333,
2334,2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343,
2344,2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353,
2354,2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363,
2364,2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373,
2374,2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383,
2384,2385, 2386, 2387-2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393,
2394,2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403,
2404,2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413,

2414,2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423,
2424,2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433,
2434,2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443,
2444,2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453,
2454,2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463,
2464,2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473,
2474,2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483,
2484,2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493,
2494,2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503,
2504,2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510.

एमआर शमशाद, अहमद एस. अजहर, शशांक, कमलेंद्र मिश्रा, अभिष्ठ
कुमार, अभिषेक चौधरी, गुन्नम वेंकटेश्वर राव, नीरज गुसा, समीर अली
खान, दीपक गोयल, प्रबनब कुमार मलिक, सोमा मलिक, मो. परवेज
डबास, शुएबडिंग, एसए सैयद, पंकज कुमार सिंह, पवन कुमार शुक्ला, डॉ.
कैलाश चंद, आभा जैन, गरिमा प्रसाद, अशोक माथुर, लक्ष्मी अरविंद, एमपी
शोरवाला, प्रवीण जैन, पीके जैन, प्रेम सुंदर झा, रमेश चंद्र मिश्रा, आरडी
उपाध्याय, एसके सभरवाल, शरीश कुमार मिश्रा, उग्र शंकर प्रसाद, बी.
सुनीता राव, आभा आर, शर्मा, यशपाल ढींगरा, चंदर शेखर आश्री, केएल
जंजानी, आशा गोपालन नायर, हिमांशु मुंशी, गोपाल प्रसाद, सुजाता
कुरदुकर, रामेश्वर प्रसाद गोयल, विष्णु शर्मा, दया कुष्ण शर्मा, शेखर कुमार,

सविता सिंह, जॉन मैथ्यू, गौरव ढींगरा, विश्व पाल सिंह, सी अनुराधा एंड एसोसिएट्स, अनूपक्र, श्रीवास्तव, विधि इंटरनेशनल, अशोक कुमार गुप्ता द्वितीय, संतोष कुमार त्रिपाठी, पुखरामबम रमेश कुमार, अनुपम लाल दास, प्रवीण अग्रवाल, सुधीर कुलश्रेष्ठ, मनोज के मिश्रा, सुस्मिता लाल, सुमित कुमार, नमिता चौधरी, ग्रवेश काबरा, उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

के.एस राधाकृष्णन, न्यायाधिपति

1. अनुमति दी गई।

2. मामलों के इस समूह में, हमें इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है कि क्या शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 [संक्षेप में 'अधिनियम'] की धारा 10(3) के तहत अधिशेष भूमि को निहित माना जाएगा। शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 [संक्षेप में 'निरसन अधिनियम'] की धारा 3 के तहत बचत खंड के लाभ से भूमि धारकों को वंचित करना वास्तव में कब्जा लेने जैसा होगा।

तथ्य:

3. यहां प्रतिवादी हरि राम ने 28.9.1976 को एक बयान दायर किया था जिसमें अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रदान की गई रिक्त भूमि

का विवरण दिया गया था, जो अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक थी। अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी ने भूमि का सर्वेक्षण किया और प्रतिवादी को **13.5.1981** को अधिनियम की धारा **8(3)** के तहत एक मसौदा विवरण दिया गया, जिसमें तीस दिनों के भीतर मसौदा विवरण पर आपत्ति मांगी गई थी। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई और यह पाया गया कि उसके पास **52,513.30** वर्ग मीटर की अतिरिक्त भूमि है और इस आशय का एक आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा **8 (4)** के तहत उसकी कार्यवाही दिनांक **29.6** के तहत पारित किया गया था । **1981**.

4. सक्षम प्राधिकारी ने बाद में सीलिंग अधिनियम की धारा **10(1)** के तहत दिनांक **12.6.1982** को एक अधिसूचना जारी की, जिसे **12.6.1982** को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा रखी गई खाली भूमि का विवरण दिया गया था। तब सक्षम प्राधिकारी ने **22.11.1997** को एक अधिसूचना जारी की, जो उसी तारीख को प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया कि भूमि **12.6.1982** से सभी बाधाओं से मुक्त होकर सरकार के पास निहित मानी जाएगी। **10.6.1999** को, सक्षम प्राधिकारी ने अपने पत्र दिनांक **10.6.1999** के माध्यम से बंदोबस्त चकबंदी अधिकार को सूचित किया कि अधिसूचना के अनुसार घोषित अधिशेष भूमि राज्य सरकार में निहित है। **19.6.1999** को, निर्धारित प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा **10(5)** के तहत एक नोटिस जारी किया

जिसमें प्रतिवादी को अधिशेष घोषित भूमि का कब्जा एक विधिवत अधिकृत व्यक्ति को सौंपने का निर्देश दिया गया। इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 33 के तहत जिला न्यायाधीश, वाराणसी के समक्ष 1999 की अपील संख्या 29 प्रस्तुत की, जिसमें तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 8(4) के तहत आदेश पारित करने से पहले, कोई नोटिस नहीं दिया गया, जैसा कि इसके तहत विचार किया गया है। अधिनियम की धारा 8(3) उस पर तामील की गई। अपील की अनुमति दी गई और दिनांक 29.06.1981 के आदेश को दिनांक 14.12.1999 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर उत्तर प्रदेश राज्य ने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से सिविल विविध को प्राथमिकता दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2000 की याचिका संख्या 47369 , और उच्च न्यायालय ने, विभिन्न तर्कों पर विस्तार से विचार करने के बाद, यह विचार किया कि धारा 10 की उप-धारा (3) की परिकल्पना नहीं की गई है, अधिशेष भूमि का भौतिक और वास्तविक कब्जा लेना, जिसके लिए धारा 10 की उपधारा (5) के तहत कार्यवाही का पालन करना होगा। तथ्यों के आधार पर भी डिवीजन बेंच को जिला न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला और अपील खारिज कर दी गई, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई है। 2000 की रिट याचिका संख्या 47369 में फैसले के बाद, उच्च

न्यायालय द्वारा कई रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया, जिनके खिलाफ अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

6. हम 2000 की रिट याचिका संख्या 47369 में फैसले के खिलाफ दायर अपील को प्रमुख मामले के रूप में लेने का इरादा रखते हैं, जिसके आधार पर अन्य अपीलों का निपटारा किया जा सकता है।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुनील गुप्ता- यूपी राज्य ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (3) की व्याख्या करने में त्रुटि की है और प्रस्तुत किया है कि अभिव्यक्तियाँ "डीम्ड अधिग्रहण" और "डीम्ड वेस्टिंग" जो कि धारा 10(3) में जगह पाती हैं।) अधिनियम न केवल वैध कब्जा लेगा बल्कि वास्तविक कब्जा भी लेगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 10(2) के तहत, सक्षम प्राधिकारी खाली भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के दावों पर विचार करता है और फिर ऐसे दावों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करता है, जिसके बाद धारा 10(3) के तहत एक घोषणा की जाती है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा अधिनियम जो पूर्ण निहितार्थ के समान है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 10(3) एक स्व-निहित प्रावधान है और यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपालन की जाने वाली किसी अन्य या आगे की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि धारा 10(5) और धारा 10(6) "शत्रुतापूर्ण कब्जे" की बात करती है और केवल उन मामलों में जहां

मालिक द्वारा फसल उगाने, भवन निर्माण या अन्य द्वारा खाली भूमि के संबंध में शत्रुतापूर्ण कब्जा स्थापित किया जाता है। फिक्स्चर आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी को उन प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेना होगा। निरसन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए , विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इसमें इस्तेमाल की गई व्यापक भाषा अधिनियम की धारा 10(3) , धारा 10(5) या धारा 10(6) के तहत कब्जा लेने जैसी विभिन्न संभावनाओं की परिकल्पना करती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसे मामलों में जहां अधिसूचना के प्रकाशन और धारा 10 (3) के तहत प्रदान किए गए डीमिंग क्लॉज और कानूनी कल्पना के कारण कानूनी, वैधानिक और कानून में अनुमान के माध्यम से कब्जा कर लिया गया है। अधिनियम , निरसन अधिनियम की धारा 3(1) (ए) की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और राज्य सरकार द्वारा निहित और कब्जे वाली भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व और कब्जे में बरकरार रहेगी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि यूपी शहरी भूमि सीमा (कब्जा लेना, राशि का भुगतान और संबद्ध मामले) निर्देश, 1983 (संक्षेप में 'निर्देश 1983') के तहत निर्धारित प्रक्रिया धारा 10(3) के पूर्ण चरित्र को देखते हुए लागू नहीं होगी।

8. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने उच्च न्यायालय के फैसले का पूरी तरह से समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि धारा 10(3), 10(5) , 10(6) और धारा 3 को संयुक्त रूप से

पढ़ने पर निरसन अधिनियम यह दिखाएगा कि अधिनियम की धारा 10(5) और 10(6) के मद्देनजर धारा 10(3) के तहत अभिव्यक्ति "अधिगृहीत मानी गई" या "निहित मानी गई" को "भौतिक कब्जा" नहीं माना जाएगा। विद्वान अधिवक्ताओं ने आग्रह किया कि ऐसी स्थितियों में राज्य को अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी निर्देश 1983 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि यदि श्री गुप्ता द्वारा रखी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो निरसन अधिनियम के उद्देश्य और कारण विफल हो जाएंगे, क्योंकि यह एक लाभकारी अधिनियम है।

न्यायिक मूल्यांकन

9. जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण में वृद्धि के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास की आवश्यकता महसूस करने के बाद संसद ने 1976 का अधिनियम 33 अधिनियमित किया। संसद ने यह भी महसूस किया कि सामाजिक नियंत्रण के लिए उपाय करना आवश्यक है। शहरी भूमि के दुर्लभ संसाधन पर इसका समान वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से। दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों को भी संबोधित किया था। ग्यारह राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 252(1) के तहत प्रस्ताव पारित कर संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया था। परिणामस्वरूप, 1976 का अधिनियम अधिनियमित किया गया जो 17.2.1976 को लागू हुआ।

अधिनियम का उद्देश्य शहरी समूह में खाली भूमि पर सीलिंग लगाने, सीलिंग सीमा से अधिक ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए, ऐसी भूमि पर भवनों के निर्माण को विनियमित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करना था। शहरी भूमि का कुछ व्यक्तियों के हाथों में संकेन्द्रण और उसमें सट्टेबाजी तथा मुनाफाखोरी को रोकने के लिए तथा सामान्य हित की पूर्ति के लिए शहरी समूहों में भूमि का न्यायसंगत वितरण करने की दृष्टि से।

10. विधायिका ने अधिनियम के अध्याय III में खाली भूमि पर एक सीमा लगा दी। अधिनियम की धारा 6 में अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाले व्यक्तियों पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराने का दायित्व रखा गया है। अधिनियम की धारा 8 में अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई खाली भूमि के संबंध में मसौदा विवरण तैयार करने का उल्लेख है। तैयार किए गए ड्राफ्ट स्टेटमेंट को धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत नोटिस के साथ संबंधित व्यक्ति को नोटिस की सेवा के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां, यदि कोई हो, मांगी जानी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी को दाखिल आपत्तियों पर विचार करने के बाद उपधारा (4) से धारा 8 के तहत आदेश पारित करना होता है। अंतिम विवरण अधिनियम की धारा 9 के तहत जारी किया जाना है।

11. इस मामले में हम मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 10 के दायरे से चिंतित हैं , जो इस प्रकार है:

10. अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि का अधिग्रहण.-

(1) संबंधित व्यक्ति पर धारा 9 के तहत विवरण की तामील के बाद जितनी जल्दी हो सके , सक्षम प्राधिकारी धारित खाली भूमि का विवरण देते हुए एक अधिसूचना जारी करेगा ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक और यह बताते हुए कि-

(i) ऐसी खाली भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाना है; और

(ii) ऐसी खाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के दावे व्यक्तिगत रूप से या उनके एजेंटों द्वारा ऐसी भूमि में उनके हितों की प्रकृति का विवरण देते हुए किए जा सकते हैं, जिसे आम जनता की जानकारी के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। संबंधित राज्य और ऐसे अन्य तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में रिक्त भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सक्षम प्राधिकारी को किए गए दावों पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ऐसे दावों की प्रकृति और सीमा का

निर्धारण करेगा और ऐसे पारित करेगा जैसा उचित समझे
वैसा आदेश दें।

(3) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी, संबंधित राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकता है कि अधिसूचना में उल्लिखित अतिरिक्त खाली भूमि उप-धारा (1) ऐसी तारीख से, जो घोषणा में निर्दिष्ट की जा सकती है, राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई मानी जाएगी और ऐसी घोषणा के प्रकाशन पर, ऐसी भूमि पूरी तरह से राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी। राज्य सरकार इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि से सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगी।

(4) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने और उप-धारा (3) के तहत की गई घोषणा में निर्दिष्ट तिथि के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान--

(i) कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी अतिरिक्त खाली भूमि (उसके किसी भी हिस्से सहित) को बिक्री, बंधक, उपहार, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से

स्थानांतरित नहीं करेगा और इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया कोई भी हस्तांतरण शून्य माना जाएगा। और शून्य; और

(ii) कोई भी व्यक्ति ऐसी अतिरिक्त खाली भूमि के उपयोग में परिवर्तन नहीं करेगा या परिवर्तन नहीं कराएगा।

(5) जहां उप-धारा (3) के तहत कोई खाली भूमि राज्य सरकार में निहित है, सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में नोटिस द्वारा, किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास उसका कब्जा हो, राज्य को आत्मसमर्पण करने या कब्जा देने का आदेश दे सकता है। नोटिस की सेवा के तीस दिनों के भीतर सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति को।

(6) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (5) के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी खाली भूमि पर कब्जा कर सकता है या इसे संबंधित राज्य सरकार या किसी अधिकृत व्यक्ति को दे सकता है। इस संबंध में ऐसी राज्य सरकार द्वारा और उस उद्देश्य के लिए ऐसे बल का उपयोग किया जा सकता है

जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण.-इस धारा में, धारा 11 की उपधारा (1) में और धारा 14 और 23 में , "राज्य सरकार", के संबंध में-

(ए) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली किसी भी खाली भूमि का मतलब केंद्र सरकार है;

(बी) किसी भी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और केंद्र शासित प्रदेश में या छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 3 के तहत घोषित छावनी की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित कोई भी खाली भूमि का मतलब है कि राज्य सरकार।“

12. धारा 10 की उपधारा (3) के साथ-साथ धारा 10 की उपधारा (5) और (6) के दायरे की जांच करने से पहले, निरसन अधिनियम 1999 और इसके उद्देश्य और कारणों का संदर्भ दिया जा सकता है जो इस प्रकार हैं अनुसरण करना:

वस्तु एवं कारणों का विवरण:

“1. शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम , 1976 तब पारित किया गया था जब आपातकाल की उद्घोषणा एक प्रशंसनीय उद्देश्य को ध्यान में रखकर लागू की गई थी। उक्त अधिनियम अनुच्छेद 252 के

खंड (1) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्प के अनुसार पारित किया गया था । दुर्भाग्य से जनता की राय लगभग एकमत है कि अधिनियम वह हासिल करने में विफल रहा है जिसकी उससे अपेक्षा की गई थी। इसके विपरीत, इसने भूमि की कीमतों को अनुचित स्तर तक बढ़ा दिया है, व्यावहारिक रूप से आवास उद्योग को रोक दिया है और भ्रष्टाचार के लिए प्रचुर अवसर प्रदान किए हैं। आवास पर इस सबसे प्रबल रुकावट को हटाने के लिए व्यापक शोर हो रहा है।

2. संसद के पास अधिनियम को निरस्त करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है जब तक कि अनुच्छेद 252 के खंड (2) के तहत आवश्यक दो या दो से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा संकल्प पारित नहीं किया जाता है।

3. हरियाणा और पंजाब विधानमंडल ने उन राज्यों में इस अधिनियम को रद्द करने के लिए संसद को सशक्त बनाने वाले प्रस्ताव पारित किए हैं। अधिनियम, सबसे पहले उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निरस्त कर दिया जाएगा और बाद में यदि कोई राज्य विधानमंडल संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अपनाता है, तो इसके अपनाने की तारीख से यह अधिनियम उस राज्य में निरस्त हो जाएगा।

4. प्रस्तावित निरसन, कुछ अन्य प्रोत्साहनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ, स्थिर आवास उद्योग को पुनर्जीवित

करने और उन लोगों के लिए किफायती आवास प्रदान करने की उम्मीद है जो अभाव की स्थिति में हैं और सार्वजनिक सहायता के हकदार हैं। हालाँकि, निरसन से उस भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस पर निर्माण गतिविधि पहले ही शुरू हो चुकी है। उस सीमित उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 20 के तहत दी गई छूट लागू रहेगी। राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि वापसी योग्य हो जाएगी।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है।

13. 1976 के अधिनियम 36 को निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 2 द्वारा निरस्त कर दिया गया था और निरसन अधिनियम को 18 मार्च 1999 को यूपी राज्य में अपनाया गया था। निरसन अधिनियम में धारा 3 के तहत एक बचत खंड शामिल है जो इस प्रकार है:

“3. बचत.-

(I) मूल अधिनियम के निरसन का प्रभाव नहीं पड़ेगा-

(ए) उप- धारा 10 के तहत किसी भी खाली भूमि का अधिकार, जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ले लिया गया है;

(बी) धारा 20 की उप-धारा (आई) के तहत छूट देने वाले

किसी भी आदेश की वैधता या उसके तहत की गई कोई कार्रवाई, इसके विपरीत किसी भी अदालत के किसी भी फैसले के बावजूद;

(सी) धारा 20 की उप-धारा (आई) के तहत छूट देने की शर्त के रूप में राज्य सरकार को किया गया कोई भी भुगतान।

(2) कहां-

(ए) किसी भी भूमि को मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार में निहित माना जाता है, लेकिन जिस पर राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं किया गया है इस ओर से या सक्षम प्राधिकारी द्वारा; और

(बी) ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किसी भी राशि का भुगतान किया गया है, तो ऐसी भूमि तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक कि भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार को वापस नहीं कर दी गई है।”

14. हम देखते हैं कि निरसन अधिनियम के लागू होने के बाद भी , 1976 के अधिनियम 33 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 10 जून, 1999 द्वारा बंदोबस्त चकबंदी अधिकार को सूचित किया कि

अधिशेष भूमि अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार घोषित की गई है। सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गया था, इसलिए, राजस्व रिकॉर्ड में राज्य सरकार का नाम दर्ज किया जाए और प्रतिवादी का नाम परिवर्तित किया जाए। सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 10(5) के तहत जारी अपने नोटिस दिनांक 19.6.1999 के माध्यम से प्रतिवादी को कलेक्टर की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्तियों को अधिशेष घोषित भूमि का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया।

15. 1976 के अधिनियम 33 पर निरसन अधिनियम के प्रभाव की जांच करने से पहले , विशेष रूप से, अधिनियम की उपधारा (3) से धारा 10 पर निरसन अधिनियम की धारा 3, आइए जांच करें कि क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कब्जा लिया जा सकता है। अधिनियम की उपधारा (3) से धारा 10 तक। धारा 6 अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक बयान दाखिल करने का दायित्व रखती है और सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी को मसौदा विवरण पर धारा 8(4) के तहत आदेश पारित करना होता है। . इसके बाद, संबंधित व्यक्ति पर धारा 9 के तहत एक अंतिम बयान जारी किया जाना है। धारा 10 की उपधारा (1) में कहा गया है कि विवरण की तामील के बाद सक्षम प्राधिकारी को एक अधिसूचना जारी करनी होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई भूमि का विवरण दिया जाएगा।

आधिकारिक राजपत्र में आम जनता की जानकारी के लिए अधिसूचना प्रकाशित की जानी है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी खाली भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और ऐसी खाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसी भूमि में हित उनकी प्रकृति का विवरण देते हुए दावा करना होगा।

16. धारा 10 की उपधारा (2) में कहा गया है कि खाली भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के दावों पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे दावों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करनी होगी और ऐसे आदेश पारित करने होंगे जो वह उचित समझे। धारा 10 की उपधारा (3) में कहा गया है कि उपधारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, सक्षम प्राधिकारी को यह घोषणा करनी होगी कि धारा की उपधारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में संदर्भित अतिरिक्त भूमि 10, ऐसी तारीख से, जो घोषणा में निर्धारित की जा सकती है, राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई मानी जाएगी। इस आशय की घोषणा के प्रकाशन पर ऐसी भूमि निर्दिष्ट तिथि से सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी।

कानूनी कथा

17. विधायिका किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व को मानने के उद्देश्य से

कानूनी कल्पना रचने में सक्षम है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। धारा 10 की उप-धारा (3) में दो डीमिंग प्रावधान शामिल थे जैसे कि "अधिगृहीत माना गया" और "पूरी तरह से निहित माना गया"। आइए पहले हम 'मान्य प्रावधान' के कानूनी परिणामों की जांच करें। कानूनी कल्पना रचने वाले प्रावधान की व्याख्या करने में, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि कल्पना किस उद्देश्य से बनाई गई है और यह सुनिश्चित करने के बाद, न्यायालय को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मानना है जो कल्पना को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य (1996) 2 एससीसी 449 मामले में इस न्यायालय ने कहा कि कानूनी कल्पना के तहत जिसे अस्तित्व में माना जा सकता है वह तथ्य हैं, न कि कानूनी परिणाम जो कानून से उत्पन्न नहीं होते हैं जैसा कि वह मौजूद है।

18. जेम्स लॉर्ड्स जस्टिस इन एक्स-पार्ट, वाल्टन, इन री, लेवी (1881) 17 चांस। डी. 746 काल्पनिक कथा को इस प्रकार मानने पर बोलता है:

"जब कोई कानून अधिनियमित करता है कि कुछ ऐसा किया गया माना जाएगा, जो वास्तव में और वास्तव में नहीं किया गया था, तो न्यायालय यह सुनिश्चित करने का हकदार और बाध्य है कि वैधानिक कल्पना का सहारा किन उद्देश्यों के लिए और किन व्यक्तियों के बीच लिया जाना है"।

19. स्ज़ोमा बनाम कार्य और पेंशन विभाग के राज्य सचिव (2006)

1 ऑल ईआर 1 (25 पर), अदालत ने कहा, इस कल्पना को इसके मूल उद्देश्य से परे ले जाना काफी गलत होगा ताकि यह समझा जा सके कि वास्तव में व्यक्ति को वैधानिक रूप से यहां बिल्कुल भी नहीं रहना है। किसी परिकल्पना को निर्धारित करने में किसी प्रावधान को मानने का इरादा यह है कि परिकल्पना को विधायी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जहां तक आवश्यक हो, ले जाया जाएगा, लेकिन इससे आगे नहीं। (डीईजी डॉयचे इंस्टीट्यूशंस और अन्य बनाम कोस्बी (2001) 3 सभी ईआर 878 भी देखें।

20. आइए उपरोक्त कानूनी सेटिंग्स में "अर्जित माना गया" और "पूरी तरह से निहित माना गया" अभिव्यक्ति के अर्थ का परीक्षण करें। अधिनियम के तहत "अर्जित" और "निहित" शब्द परिभाषित नहीं हैं। प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य जो हमें वैधानिक प्रावधान में मिलता है, यदि अधिनियम में परिभाषित नहीं है, तो उसे अधिनियम के सामान्य उद्देश्य के आलोक में समझा जाना चाहिए। जैसा कि इस न्यायालय ने ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ (1979) 4 एससीसी 573 में कहा था कि शब्दों की एक मात्र यांत्रिक व्याख्या और उद्देश्य की अवधारणा से रहित विधायी इरादे का अनुप्रयोग अधिकांश उपचारात्मक और लाभकारी कानूनों को निरर्थक बना देगा। . प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन (1994) 3 एससीसी 440 में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ लिया

जा सकता है। इसलिए, क़ानून में आने वाले शब्दों और वाक्यांशों को अलग या अलग तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए, यह संदर्भ पर जुड़ा हुआ है लेकिन अधिनियम के उद्देश्य और वस्तु के प्रकाश में एक साथ पढ़ा और समझा जाता है।

21. यह न्यायालय एस. गोपाल रेड्डी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ।

(1996) 4 एससीसी 596 अभिनिर्धारित:

“क़ानून की व्याख्या का यह सर्वविदित नियम है कि किसी क़ानून में प्रयुक्त किसी भी अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय पूरे अधिनियम के पाठ और संदर्भ को देखा जाना चाहिए। अधिनियम के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालयों को उस उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए, जिसे क़ानून प्राप्त करना चाहता है। अधिनियम की व्याख्या के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है.....”

22. जुगल किशोर सराफ बनाम मेसर्स रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड

एआईआर 1955 एससी 376 में, न्यायमूर्ति एसआर दास ने कहा:

“क़ानून के निर्माण का मुख्य नियम क़ानून को शाब्दिक रूप से पढ़ना है, अर्थात् विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों को उनका

सामान्य प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ देना। हालाँकि, यदि ऐसा पढ़ने से बेतुकापन पैदा होता है और शब्द किसी अन्य अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं तो न्यायालय इसे अपना सकता है। लेकिन यदि ऐसा कोई वैकल्पिक निर्माण संभव नहीं है, तो न्यायालय को शाब्दिक व्याख्या के सामान्य नियम को अपनाना चाहिए।”

23. धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत एक काल्पनिक कल्पना के रूप में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति "अर्जित मानी गई" का अर्थ केवल स्वामित्व का अधिग्रहण या हितों का अधिग्रहण हो सकता है क्योंकि उस समय तक भूमि या तो स्वामित्व में हो सकती है अधिनियम की धारा 2(1) के तहत परिभाषित व्यक्ति, जिसके पास खाली भूमि है या जिसके पास ऐसी भूमि है, मालिक के रूप में या किरायेदार के रूप में या गिरवीदार के रूप में इत्यादि। अधिनियम में "निहित" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए "निहित" शब्द को भी परिभाषित किया गया है। जो कुछ भी निहित है वह केवल वह भूमि है जिसे अर्जित माना जाता है और इससे अधिक कुछ नहीं। "बनियान" शब्द का अलग-अलग संदर्भ में अलग-अलग अर्थ है; विशेष रूप से जब हम एक मान्य प्रावधान की वैधानिक परिकल्पना के आधार पर निहित करने के अर्थ की जांच करते हैं, जिसे लॉर्ड हॉफमैन ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम ज़िलिंस्की बेकर और पार्टनर्स (2004) 2 सभी ईआर 141 (11 पर) में

"वीरतापूर्ण कृति" के रूप में वर्णित किया है। मानना"।

24. "वेस्ट" या "वेस्टिंग" शब्द का अलग-अलग अर्थ है। कानूनी शब्दावली, राजभाषा (विधान) आयोग 1970 संस्करण द्वारा पृष्ठ 302 पर प्रकाशित:

“निहित: 1. किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से निश्चित, तत्काल अधिकार या व्यक्तिगत या भविष्य में (संपत्ति) का आनंद देने के लिए, किसी विशेष अधिकार के साथ संपत्ति का अधिकार प्रदान करना, प्रदान करना, 2. कानूनी रूप से निहित होना; (टीपी अधिनियम 1)

“निहित आदेश: वैधानिक प्राधिकार के तहत एक आदेश जिसके तहत संपत्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तांतरण के बिना हस्तांतरित और निहित की जाती है;

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (छठा संस्करण) 1990 पृष्ठ 1563 पर:

“निहित: निश्चित; उपार्जित; बसे हुए; निरपेक्ष; पूरा; चरित्र का होना या पूर्ण स्वामित्व का अधिकार दिया जाना; आकस्मिक नहीं, किसी पूर्ववर्ती शर्त से पराजित होने का विषय नहीं। अधिकार तब "निहित" होते हैं जब वर्तमान या

भावी आनंद के अधिकार वर्तमान हित के रूप में कुछ विशेष व्यक्तियों या व्यक्तियों की संपत्ति बन जाते हैं;

मौजूदा कानूनों की प्रत्याशित निरंतरता पर आधारित संपत्ति में मात्र प्रत्याशा या भविष्य या आकस्मिक हित "निहित अधिकार" वॉन बनाम नडेल को जारी नहीं रखता है; 228 कान 469, 618 पी. 2 डी 778, 783। एक्रू वेस्ट और विशिष्ट प्रकार के निहित स्वार्थ इन्फ्रा भी देखें।"

वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अनब्रिज्ड, खंड III एस से जेड पृष्ठ 2547 पर "वेस्ट" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"निहित " निहित..... किसी व्यक्ति या प्राधिकारी (जलमार्गों का विनियमन) के कब्जे या विवेक में रखना या देना किसी व्यक्ति को (एक संपत्ति के रूप में) वर्तमान या भविष्य के आनंद का कानूनी रूप से तय तत्काल अधिकार देना (एक विलेख जो अनुदान प्राप्तकर्ता को शीर्षक संपत्ति और उसके बच्चों को शेष भाग प्रदान करता है), बी. बंदोबस्ती प्रदान करना, या किसी विशेष प्राधिकारी अधिकार या संपत्ति से लैस करना सामंती समारोह द्वारा (एक व्यक्ति) को भूमि के कब्जे में रखना निवेश का... कानूनी

रूप से निहित होने के लिए (सामान्य रूप से) वास्तविक संपत्ति का शीर्षक निष्पादित संपत्ति विलेख के धारक में निहित होता है।)"

25. इसलिए, निहित/निहित में "कब्जे का हस्तांतरण" शामिल हो भी सकता है और नहीं भी, जिसका अर्थ उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें इसे रखा गया है और विभिन्न अन्य संबंधित प्रावधानों की व्याख्या।

26. जिसे "पूरी तरह से निहित करना" समझा जाता है, वह "क्या अर्जित किया हुआ माना जाता है"। हमारे विचार में, अदालत को यह मानने के लिए राजी करने के लिए अत्यंत स्पष्टता के स्पष्ट शब्द होने चाहिए कि विधायिका का इरादा कब्जा हटाने का भी है, क्योंकि खाली भूमि के मालिकों या धारकों को एक वैधानिक परिकल्पना के खिलाफ खड़ा किया गया है। कब्जा, बीडल बनाम मैटलैंड (1881) 17 अध्याय में एक कहावत है "कानून के नौ बिंदु"। डी. पी. 183 सर एडवर्ड फ्राई ने एक कानून के बारे में बात करते हुए जो जबरन प्रवेश को अभियोग योग्य अपराध बनाता है, इस प्रकार कहा:

“यह कानून हमारे कानून में ज़मीन पर कब्जा होने और कब्जा न होने के बीच मौजूद बड़े अंतरों में से एक पैदा करता है, और जिसने पुरानी कहावत को जन्म दिया कि कब्जा कानून के नौ बिंदु हैं। कानून का प्रभाव यह है, कि

जब कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो वह अतिक्रमण करने वाले को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है; लेकिन अगर किसी अतिचारी ने कब्जा कर लिया है, तो असली मालिक उसे बाहर निकालने के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि उसे सहायता के लिए कानून के पास अपील करनी होगी।”

27. यह ध्यान दिया जा सकता है कि खाली भूमि वास्तव में अर्जित नहीं की गई है बल्कि अर्जित मानी गई है, इसमें चीजों को वही माना जाता है जो वे नहीं हैं। इसलिए, अधिग्रहण तब तक कब्जा नहीं लेता जब तक इसके विपरीत कोई संकेत न हो। यह घिसा-पिटा कानून है कि किसी प्रावधान पर विचार करते समय विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। अधिनियम का उद्देश्य खाली भूमि पर सीलिंग लगाना है, सीलिंग सीमा से अधिक भूमि के अधिग्रहण के लिए ऐसी भूमि पर निर्माण को विनियमित करना है, शहरी भूमि को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होने से रोकना है, ताकि न्यायसंगत स्थिति लाई जा सके। वितरण। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिग्रहण और निहितार्थ के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। जब हम उपरोक्त सेटिंग में उन शब्दों और अनुसरण किए जाने वाले प्रावधानों जैसे कि धारा 10 की उपधारा (5) और (6) को देखते हैं, तो 'अर्जित' और 'निहित' शब्दों का अर्थ और सामग्री अलग-अलग होती है। धारा 10(3) के तहत , जो निहित है वह वैधानिक

कब्जा है, वास्तविक नहीं, एक से अधिक कारणों से क्योंकि हम एक वैधानिक परिकल्पना पर अभिव्यक्ति का परीक्षण कर रहे हैं और ऐसी परिकल्पना केवल विधायी इरादे को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीमा तक ही की जा सकती है। .

स्वैच्छिक समर्पण

28. हमारे विचार में, धारा 10 की उप-धारा (3) में 'निहित' का अर्थ स्वामित्व को पूर्ण रूप से निहित करना है न कि कब्जा करना, हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से कब्जा सौंपने या देने के रास्ते में कुछ भी नहीं आता है। महाराज सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य (1977) 1 एससीसी 155 में अदालत ने यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 117(1) की व्याख्या करते हुए कहा कि 'वेस्टिंग' एक फिसलन भरा शब्द है और इसके कई अर्थ हैं। अर्थ और संदर्भ पाठ को नियंत्रित करते हैं और उद्देश्य और योजना अर्थ की विशेष अर्थपूर्ण छाया या बारीकियों को प्रस्तुत करती है। राजेंद्र कुमार बनाम कल्याण (मृत) में अदालत लार्स द्वारा। (2000) 8 एससीसी 99 इस प्रकार आयोजित:

“हमें प्रासंगिक तथ्यों में कुछ विवादास्पद सामग्री मिलती है,

क्योंकि निहित करना निश्चित रूप से “निहित” होना चाहिए।

“निहित करने का आम तौर पर मतलब किसी संपत्ति को

सौंपना है।" (प्रति ब्रेट, एलजे कवरडेल बनाम चार्लटन। स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी, 5वां संस्करण। खंड VII) बिना किसी प्राधिकरण के लगभग 50 वर्षों के बाद गोद लेने के आधार पर अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में और प्रासंगिक तथ्यों को निहित करना हालांकि नहीं हो सकता है लेकिन इसे एक आकस्मिक घटना कहा जाएगा। "बनियान" को निष्पादक युक्ति नहीं कहा जा सकता। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "निहित" का अर्थ आवश्यक रूप से और हमेशा "कब्जे में निहित" नहीं होता है, बल्कि इसमें "हित में निहित" भी शामिल होता है।"

29. हमारा विचार है कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, "निहित" शब्द संपत्ति में कानूनी कब्जे सहित हर हित को दर्शाता है और, वास्तव में नहीं, लेकिन यह किसी व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए हमेशा खुला रहता है और अधिनियम की धारा 10(3) के तहत कब्जा प्रदान करें।

30. धारा 10 की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) की जांच करने से पहले , आइए हम अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (4) के अर्थ की जांच करें , जो कहती है कि शुरू होने वाली अवधि के दौरान उप-धारा (1) के तहत प्रकाशन की तारीख, उप-धारा (3) के तहत की गई घोषणा में निर्दिष्ट दिन के साथ समाप्त होने पर, कोई भी व्यक्ति बिक्री, बंधक, उपहार

या अन्यथा के माध्यम से निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त खाली भूमि को स्थानांतरित नहीं करेगा। अधिसूचना और अधिनियम के उल्लंघन में किया गया ऐसा कोई भी स्थानांतरण शून्य और शून्य माना जाएगा। इसके अलावा, इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी अतिरिक्त खाली भूमि के उपयोग में बदलाव नहीं करेगा या बदलाव नहीं कराएगा। इसलिए, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से और उप-धारा (3) में की गई घोषणा में निर्दिष्ट तिथि तक, किसी व्यक्ति के कब्जे, कब्जे को परेशान करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए, भूमि धारक के पास ही रहेगा।

शांतिपूर्ण बेदखली

31. धारा 10 की उप-धारा (5), पहली बार, "कब्जे" की बात करती है, जो कहती है कि जहां धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत कोई भी भूमि राज्य सरकार में निहित है, सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में नोटिस देकर, किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास यह कब्जा है, राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा सौंपने या हस्तांतरित करने का आदेश दे सकता है।

32. यदि उप-धारा (3) से धारा 10 के तहत दो डीमिंग प्रावधानों द्वारा वास्तविक कब्जा पहले ही राज्य सरकार को दे दिया गया है , तो उप-धारा के तहत "जहां कोई भूमि निहित है" अभिव्यक्ति का उपयोग करने

की कोई आवश्यकता नहीं है। 5) धारा 10 तक । उप-धारा (3) से धारा 10 के तहत कब्जा सौंपना या स्थानांतरित करना स्वैच्छिक हो सकता है ताकि व्यक्ति को अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदान किया गया मुआवजा जल्दी मिल सके। एक बार जब कोई स्वैच्छिक आत्मसमर्पण या कब्जा वितरण नहीं होता है, तो आवश्यक रूप से राज्य सरकार को कब्जा सौंपने या देने के लिए धारा 10 की उपधारा (5) के तहत लिखित रूप में नोटिस जारी करना होगा। धारा 10 की उपधारा (5) शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने और कब्जा देने की स्थिति की कल्पना करती है जबकि धारा 10 की उपधारा (6) बलपूर्वक बेदखली की स्थिति पर विचार करती है।

बलपूर्वक बेदखली

33. अधिनियम बलपूर्वक बेदखल करने का प्रावधान करता है, लेकिन केवल तब जब कोई व्यक्ति धारा की उप-धारा (5) के तहत आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है।

“10. धारा 10 की उप-धारा (6) फिर से "कब्जे" की बात करती है, जो कहती है, यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (5) के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी खाली भूमि पर कब्जा कर सकता है। राज्य सरकार को दिया जाना है और उस उद्देश्य के लिए, बल - जैसा आवश्यक हो - का उपयोग

किया जा सकता है। इसलिए, उप-धारा (6), उप-धारा (5) के तहत आदेश का पालन करने से इनकार करने या विफल रहने वाले व्यक्ति की स्थिति पर विचार करती है, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी बल का उपयोग करके कब्जा कर सकता है। इसलिए, भूमि की जबरन बेदखली का सहारा केवल उसी स्थिति में लिया जा रहा है जो उप-धारा (6) के अंतर्गत आती है, न कि धारा 10 की उप-धारा (5) के अंतर्गत। उप-धारा (5) और (6), इसलिए, दोनों स्थितियों का ध्यान रखती हैं, यानी नोटिस देकर कब्जा लेना जो कि "शांतिपूर्ण बेदखली" है और धारा 10(5) के तहत आत्मसमर्पण करने या कब्जा देने में विफलता पर, धारा 10 की उपधारा (6) के तहत "बलपूर्वक बेदखली"।

34. धारा 10 की उपधारा (5) एवं (6) के अंतर्गत नोटिस देना अनिवार्य है। हालाँकि इसमें 'हो सकता है' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दोनों उप-अनुभागों में 'हो सकता है' शब्द को "करेगा" के रूप में समझा जाना चाहिए क्योंकि कानून को लागू करने के कार्य के लिए जिम्मेदार अदालत को विधायिका के इरादे के अनुसार परिणाम तय करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता को लागू करने में विफलता से पालन करने के लिए धारा 11 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत नोटिस जारी न करने का प्रभाव यह होगा कि इसके परिणामस्वरूप भूमि धारक

को बिना नोटिस के बेदखल किया जा सकता है, इसलिए, 'हो सकता है' शब्द को 'के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। करेगा'।

35. उपरोक्त तर्क निर्देश **1983** के अनुरूप है जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा **35** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। निर्देशों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक खाली भूमि पर कब्जा लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सीमा (राशि का भुगतान और संबद्ध मामले पर कब्जा लेना) निर्देश, **1983** (अधिनियम, **1976** की धारा **35** के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश) :

“शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम , **1976** (**1976** का अधिनियम संख्या **33**) की धारा **35** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित निर्देश जारी करने में प्रसन्न हैं। उपरोक्त अधिनियम की धारा **11** में निर्दिष्ट राशि के संबंध में व्यक्ति या उसके हकदार व्यक्तियों को:

1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ - इन निर्देशों को उत्तर प्रदेश शहरी भूमि सीमा (कब्जा लेना, राशि का भुगतान और संबद्ध मामले निर्देश, **1983**) कहा जा सकता है।

2. इस दिशा में निहित प्रावधान ऐसे निर्देशों या नियमों या आदेशों के साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या नियम या आदेश के प्रावधानों के अधीन होंगे।
3. वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ:-

3. सीलिंग सीमा से अधिक खाली भूमि पर कब्जा लेने की प्रक्रिया-(1) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले के लिए क्रमांक यूएलसी -1 में एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसके संबंध में धारा 10 की उपधारा (3) के तहत अधिसूचना जारी की जाएगी । अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।
4. (2) अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (5) के तहत निर्धारित प्रत्येक भूमि धारक को फॉर्म संख्या यूएलसी-2 में एक आदेश भेजा जाएगा और आदेश जारी करने और सेवा की तारीख दर्ज की जाएगी। फॉर्म नंबर यूएलसी-1 का कॉलम 8।
- (3) अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार ली जाने वाली अतिरिक्त खाली भूमि पर प्रविष्टियाँ फॉर्म यूएलसी-III में एक रजिस्टर में की जाएंगी । और फॉर्म नंबर यूएलसी-1 के कॉलम 9 में भी। सक्षम प्राधिकारी प्रविष्टियों

के सत्यापन के प्रतीक के रूप में फॉर्म संख्या यूएलसी-1 के कॉलम 11 और फॉर्म संख्या यूएलसी-III के कॉलम 10 में अपने हस्ताक्षर करेगा।

फॉर्म नं.ULC-1

धारा 10-(3) और 10(5) के तहत नोटिस का रजिस्टर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्रमांक	प्राप्ति रजिस्टर का क्रमांक	मामला संख्या	अंतर्गत धारा 10(3) के तहत अधिसूचना दिनांक	गाँव मोहाली में अधिग्रहण होने वाली भूमि	टिप्पणी	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर				

फॉर्म नं. यूएलसी-द्वितीय

धारा 10(5) के तहत नोटिस आदेश

(निर्देश (3) का खंड (2) देखें)

सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में

यूएलसी

नहीं..... दिनांक.....

श्री/श्रीमती.....टी/ओ

शहरी भूमि सीमा और विनियमन अधिनियम , 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 33) की धारा 10(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , आपको सूचित किया जाता है कि धारा 10(1) उत्तर प्रदेश राजपत्र दिनांक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 10(3) के तहत उत्तर प्रदेश राजपत्र दिनांक में प्रकाशित अधिसूचना के परिणामस्वरूप निम्नलिखित भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से राज्य में निहित हो गई है। अधिसूचना संख्या दिनांक के प्रभाव से आपको आदेश दिया जाता है कि आप 9 फरवरी 1977 की अधिसूचना संख्या 324/II-27-यूसी77, दिनांक 9 फरवरी 1977 के तहत इस संबंध में प्राधिकृत जिला कलेक्टर को जमीन सौंप दें या कब्जा सौंप दें। राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 1977, इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर अन्यथा अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (6) के तहत कार्रवाई

की जाएगी।

रिक्त भूमि का विवरण

स्थान	खसरा संख्या पहचान	क्षेत्र	टिप्पणी
1	2	3	4

सक्षम प्राधिकारी

.....

.....

दिनांकित.....

संख्या

प्रतिलिपि कलेक्टर को अग्रेषित की गई है... इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विस्तृत अधिशेष भूमि को तत्काल कब्जे में लेने और इसके उचित रख-रखाव के लिए कार्रवाई की जाए, कृपया सत्यापित करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को सूचना दी जाए।

सक्षम प्राधिकारी

.....”

36. उपर्युक्त निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि उप-धारा (3) केवल वैधानिक कब्जा लेती है, वास्तविक कब्जा नहीं, इसलिए, यदि भूमि मालिक धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत स्वेच्छा से कब्जा नहीं छोड़ रहा है, या धारा 10(5) के तहत नोटिस के बाद आत्मसमर्पण करने या कब्जा देने या बल प्रयोग द्वारा बेदखली करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार ने खाली जमीन पर कब्जा कर लिया है।

37. 1976 के अधिनियम 33 का दायरा कुछ अवसरों पर इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है, भले ही अधिनियम के प्रावधान और निरसन अधिनियम पर इसके प्रभाव की कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। पं. का संदर्भ लिया जा सकता है। मदन स्वरूप श्रोतिया पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम यूपी राज्य और अन्य (2000) 6 एससीसी 325, घसीटे लाल साहू और अन्य बनाम सक्षम प्राधिकारी, शहरी के तहत (सीलिंग और विनियमन अधिनियम, 1976), यूपी और अन्य (2004) 13 एससीसी 452, मुकर्रम अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2007) 11 एससीसी 90 और विनायक काशीनाथ शिल्कर बनाम डिप्टी कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी और अन्य (2012) 4 एससीसी 718।

निरसन अधिनियम का प्रभाव

38. आइए अब हम अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) पर 1999 के निरसन अधिनियम 15 की धारा 3 के प्रभाव की जांच करें । निरसन अधिनियम 1999 ने 1976 के अधिनियम 33 को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया है। निरसन अधिनियम के उद्देश्य और कारणों का उल्लेख इस निर्णय के पहले भाग में पहले ही किया जा चुका है। हालाँकि, निरसन अधिनियम ने एक बचत खंड बरकरार रखा है। किसी क़ानून के निरस्त होने से पहले उसके तहत कोई अधिकार अर्जित किया गया है या दायित्व वहन किया गया है, यह प्रश्न प्रत्येक मामले में क़ानून के निर्माण और विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

39. धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत भूमि को निहित करने मात्र से राज्य सरकार को खाली भूमि पर वास्तविक कब्ज़ा करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा, जब तक कि 18.3.1999 से पहले खाली भूमि का स्वैच्छिक समर्पण नहीं किया गया हो। राज्य को यह स्थापित करना होगा कि धारा 10 की उपधारा (5) के तहत खाली भूमि का स्वैच्छिक आत्मसमर्पण या शांतिपूर्ण कब्जे का आत्मसमर्पण और वितरण किया गया है या धारा 10 की उपधारा (6) के तहत बलपूर्वक बेदखली की गई है । इनमें से किसी भी स्थिति को स्थापित करने में विफलता पर, भूमि मालिक या धारक निरसन अधिनियम की धारा 3 के लाभ का दावा कर सकता है। इस अपील में राज्य सरकार इनमें से कोई भी स्थिति स्थापित नहीं कर सकी और इसलिए उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि

प्रतिवादी निरसन अधिनियम की धारा 3 का लाभ पाने का हकदार है।

40. इसलिए, हमें उच्च न्यायालय के फैसले में कोई खामी नहीं मिली और तदनुसार, अपील को अन्य अपीलों की तरह खारिज कर दिया जाता है। राज्य द्वारा यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि निरसन अधिनियम के लागू होने से पहले उत्तरदाताओं को बेदखल कर दिया गया था और इसलिए, उत्तरदाता निरसन अधिनियम की धारा 3 का लाभ पाने के हकदार हैं। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.पी.

अपीलें खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री हेमंत मेहरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
